न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 2845–पीबीआर/12 विरूद्ध आदेश सीमांकन दिनांक 29–10–11 एवं आदेश दिनांक 15–11–11 पारित द्वारा तहसीलदार, तहसील हुजूर जिला भोपाल प्रकरण कमांक 4/अ–12/11–12.

1– कु0 प्रिया साहू पुत्री स्व. श्री नारायण साहू अव्यस्क
2– कु0 पूनम साहू पुत्री स्व. श्री नारायण साहू अव्यस्क
3– कु0 शिवानी साहू पुत्री स्व. श्री नारायण साहू अव्यस्क
4– मा0 रोहित साहू पुत्र स्व. श्री नारायण साहू अव्यस्क
द्वारा मॉ एवं नैसर्गिक संरक्षिका सुशीला बाई साहू
पत्नी स्व. श्री नारायण साहू, निवासीगण ग्राम मिसरोद,
पुराने पोस्ट आफिस के पास, मिसरोद, भोपाल
5– महेश साहू पुत्र स्व. श्री जीतमल साहू
6– ओमप्रकाश साहू पुत्र स्व. श्री जीतमल साहू
7– रामकिशन साहू पुत्र स्व. श्री जीतमल साहू
8– भागीरथ साहू पुत्र स्व. श्री जीतमल साहू
9– जदगीश साहू पुत्र स्व. श्री जीतमल साहू
10– श्रीमती सुमित्रा साहू पुत्री स्व. श्री जीतमल साहू
निवासीगण ग्राम मिसरोद,
पुराने पोस्ट आफिस के पास, मिसरोद, भोपाल .....आवेदकगण

विरूद्ध

दुर्गा प्रसाद आत्मज फुंदीलाल
निवासी ग्राम मिसरोद, भोपाल .....आवेदक

श्री एस.के. साहू, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री विनोद यादव, अभिषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 10/2/16 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित सीमांकन दिनांक 29–10–11 एवं आदेश दिनांक 15–11–11 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार, तहसील हुजूर जिला भोपाल के समक्ष संहिता की धारा 129 के अन्तर्गत उसके भूमिस्वामी स्वत्व की ग्राम छान स्थित भूमि सर्वे कमांक 199, 209, 210, 211, 213 एवं 214 कुल रकबा 3.16 हेक्टेयर के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 4/अ–12/11–12 दर्ज कर आदेशिका दिनांक 23–12–10 से राजस्व निरीक्षक/पटवारी को 15 दिवस में सीमांकन किया जाकर सीमांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के आदेश दिये गये । राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी द्वारा दिनांक 29–10–2011 को सीमांकन किया जाकर दिनांक 1–11–2011 को सीमांकन प्रतिवेदन तहसीलदार को प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा दिनांक 15–11–11 को आदेश पारित कर सीमांकन की पुष्टि की गई है । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) तहसीलदार ने राजस्व निरीक्षक को निर्देश दिये थे कि वह 15 दिनों के अन्दर विधिवत सीमांकन कर, सीमांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें, जो कि निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

(2) राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 17–5–2011 को हितबद्ध (पड़ोसी) कास्तकारों को विधि विरूद्ध एवं प्रकिया विहीन सीमांकन हेतु सूचना पत्र जारी किया गया है, किन्तु सीमांकन नहीं किया गया, और न ही कोई अगली तिथि निश्चित की गई ।

(3) अनावेदक की प्रश्नाधीन भूमि के सीमांकन हेतु पुनः विधि विरूद्ध एवं प्रकिया विहीन हितबद्ध (पड़ोसी) कास्तकारों को उक्त सीमांकन हेतु सूचना पत्र 5 माह पश्चात दिनांक 21–10–2011 को बिना वैधानिक प्रकिया के जारी किये गये थे, जिसकी तामीली आवेदकगण पर जानबूझकर नहीं कराई गई, और सूचना दिये बिना ही दिनांक 29–10–2011 को आवेदकगण की अनुपस्थिति में आवेदकगण के हितों के विपरीत सीमांकन किया गया है, जिसकी पुष्टि सीमांकन सूचना पत्र दिनांक 21–10–11 से होती है । जबकि संहिता के अनुसार समस्त हितबद्ध व्यक्तियों की उपस्थिति में सीमांकन किया जाना अपेक्षित है ।

(4) तहसीलदार ने इस तथ्य पर भी ध्यान नहीं दिया है कि आवेदक कमांक 1 लगायत 4 अव्यवस्क हैं, और बिना संरक्षक के उन पर सूचना की तामीली एवं सीमांकन की कार्यवाही नहीं हो सकती है ।

(5) आवेदक कमांक 1 लगायत 4 अव्यस्क, सीमांकन हेतु सूचना पत्र दिनांक 21–10–11 के शीर्ष में उनके नाम बिना किसी वैधानिक संरक्षक के अंकित कर सीमांकन की सूचना हेतु दर्शाया गया है, जबकि यह विधि का सारवान एवं सुस्थापित सिद्धांत है कि अव्यस्क पक्षकारों की स्थिति में विधि द्वारा यथास्थापित संरक्षक अथवा विधि मान्य संरक्षक के माध्यम से ही उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही संस्थित की जा सकती है ।

(6) अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण तथ्य पर ध्यान ही नहीं दिया कि आवेदक कमांक 1 लगायत 4 अव्यवस्क तथा आवेदक कमांक 5 से 10 के बीच अलग–अलग 7 हिस्सों में भूमि बटी हुई है, जिस पर आवेदकगण कृषि कार्य कर रहे हैं । राजस्व निरीक्षक के सीमांकन दिनांक 29–10–2011 में यह महत्वपूर्ण तथ्य का उल्लेख नहीं है कि किस आवेदकगण के पास कितनी–कितनी भूमि पर अनावेदक की भूमि का सीमांकन के दौरान अवैध कब्जा पाया गया है । उक्त महत्वपूर्ण तथ्य अस्पष्ट है, जिस कारण सीमांकन की सम्पूर्ण कार्यवाही दूषित व प्रभावशून्य होने से निरस्ती योग्य है ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन में विधि के समस्त नियमों का पालन करते हुए सीमांकन किया गया है, जिसमें सभी हितबद्ध एवं पड़ोसी किसानों को विधिवत सूचना के उपरांत नियत तिथि को सीमांकन किया गया है ।

(2) आवेदकगण ने जो आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, वह सीमांकन दिनांक 23–12–2010 से आवेदन प्रस्तुत दिनांक 24–8–2012 के अन्तराल में प्रस्तुत किया है, और उक्त आवेदन पत्र के विलंब से प्रस्तुत करने का कोई कारण नहीं बताया गया है, ऐसी स्थिति में उक्त आवेदन पत्र निरस्त किए जाने योग्य है ।

(3) राजस्व निरीक्षक ने सीमांकन कार्य आवेदकगण एवं अनावेदक के समक्ष किया था तथा मौके पर सभी को उनकी सीमायें बताई गई है।

(4) आवेदकगण सीमांकन दिनांक 29–12–2011 से अगर वे असंतुष्ट थे तो उन्हें अपनी जमीन का सीमांकर कराकर सीमाओं का ज्ञान लेना था, परन्तु उन्होंने आज दिनांक तक सीमांकन कार्य नहीं कराया ।

(5) आवेदकगण एवं अनावेदक के बटान पृथक–पृथक हैं, तब राजस्व अभिलेखों (नक्शे) में बटान अंकित है, और उन्हीं बटान के अनुसार राजस्व निरीक्षक द्वारा विधि अनुसार सीमांकन किया गया है ।

(6) आवेदकगण ने लिखित तर्क में उठाये गये आधारों में स्वयं स्वीकार किया है कि दिनांक 21–10–2011 को नोटिस जारी किया गया है, इसके आधार पर ही दिनांक 29–12–2011 को सीमांकन कार्य किया गया है। सीमांकन आवेदकगण के समक्ष में ही किया गया था, जिसके संबंध में आवेदकगण को अवैध कब्जे की जानकारी भी दी गई थी, और उनके द्वारा मौखिक आश्वासन दिया गया था कि सीमांकन के पश्चात कब्जा छोड़ दिया जावेगा ।

(7) आवेदक कमांक 1 लगायत 10 एक ही परिवार के सदस्य हैं एवं उनका यह कहना गलत है कि आवेदक कमांक 1 लगायत 4 अव्यस्क हैं, जिन्हें नोटिस तामील नहीं कराया, साथ ही वह यह भी स्पष्ट कर रहे हैं कि आवेदक कमांक 5 से 10 को विधिवत नोटिस तामील हुए हैं, केवल 1 से 4 को नहीं हुए हैं ।

(8) राजस्व निरीक्षक द्वारा यदि नोटिस नहीं दिया जाता तो आवेदकगण सीमांकन के समय मौके पर कैसे उपस्थित हो सकते थे, इससे स्पष्ट है कि आवेदकगण द्वारा असत्य एवं मिथ्या तथ्यों के आधार पर यह आवेदन प्रस्तुत किया है, जो अपास्त किये जाने योग्य है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में उठाये गये आधारों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि

तहसीलदार द्वारा विधिवत आवेदकगण पर सूचना पत्र की तामीली नहीं कराई गई है, और उनकी अनुपस्थिति में सीमांकन किया गया है, जो कि पूर्णतः अवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण कार्यवाही है । तहसीलदार द्वारा पड़ौसी कृषकों को भी सीमांकन की विधिवत सूचना नहीं दी गई है । अतः न्यायहित में इस प्रकरण में विधिक आवश्यकता है कि तहसीलदार का सीमांकन आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जाये कि वे उभय पक्ष सहित पड़ोसी कृषकों पर विधिवत सूचना पत्र की तामीली कराकर उनकी उपस्थिति में प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन कराया जाकर सीमांकन आदेश पारित करें ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर सीमांकन दिनांक 29–10–11 एवं तहसीलदार, तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित एवं आदेश दिनांक 15–11–11 निरस्त किये जाते हैं एवं प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही हेतु तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर